भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3546**

03.04.2017 को उत्‍तर के लिए

**ओडिशा में लौह तथा मैंगनीज अयस्क की खानों के लिए पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी**

3546. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ओडिशा से लौह और मैंगनीज अयस्क खानों के लिए पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी प्रदान करने हेतु विचारार्थ विषयों को जारी करने के लिए आवेदनों पर इस आधार पर विचार नहीं कर रहा है कि क्षमता संबंधी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता संबंधी अध्ययन पूरा न होने के आधार पर मंत्रालय द्वारा कितने आवेदनों को लौटा दिया गया है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) मंत्रालय में ओडिशा राज्‍य में लौह और मैंगनीज अयस्‍क के खनन के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर)/पर्यावरणीय स्‍वीकृति (ईसी) के अट्ठाईस (28) प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं। इसमें से तीन (3) प्रस्‍तावों को विशेषज्ञ मूल्‍यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष रखा गया है। शेष प्रस्‍तावों को वहन क्षमता अध्‍ययन के अभाव में ईएसी के समक्ष नहीं रखा गया और कोई भी आवेदन पत्र लौटाया नहीं गया है। निर्धारित पद्धति के अनुसार, पर्यावरणीय स्‍वीकृति केवल चरण-। की वन स्‍वीकृति के पश्‍चात प्रदान की जाती है, यदि खनन पट्टे में वन भूमि शामिल होती है।

\*\*\*\*\*\*